न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–29/2016 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. मुंशीलाल शर्मा पुत्र श्री भगवान सहाय शर्मा निवासी नाडू तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।

..... अपीलांट

बनाम

1. हनुमान प्रसाद पुत्र श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी नाडू तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
2. श्रीमती किस्तूरी बेवा श्री मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी नाडू तहसील राजगढ़ जिला अलवर राज0 ।
3. राजस्थान सरकार जरिये जिलाधीश अलवर राज0 ।
4. तहसीलदार राजगढ़ ।

.....रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री लक्ष्मणसिंह पोसवाल, अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री मनीष दीक्षित अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2
3. श्री गणपसिंह नरूका राजकीय अभिभाषक ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–14.09.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 08.08.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकराहर हक इस आशय का प्रस्तुत किया कि गत आराजी ख0 नं0 422 रकबा 3 बीघा वाके ग्राम नाडू तहसील राजगढ़ का खातेदार वादी का पिता व वादी सं0 2 का पति मूलचन्द था जिसका वर्तमान में स्वर्गवास हो गया है जिसके जायज वारिसान वादीगण है । गत आराजी का वादीगण का पिता रेकार्ड में खातेदार था, वही आराजी पर काबिज रहकर काश्त करता था । बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में हुआ जिसमें बन्दोबस्त कर्मचारियों ने आराजी गत ख0 नं0 422 का हाल ख0 नं0 411 कायम कर दिया तथा आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया । इस प्रकार बन्दोबस्त विभाग को इन्द्राज परिवर्तन

करने का कोई अधिकार नहीं है । विवादित आराजी पर वादीगण के पिता व पति की मृत्यु के बाद वादीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है । वर्तमान में भी विवादित आराजी पर वादीगण की काश्त है । इस प्रकार वादीगण की खातेदारी की आराजी को सिवायचक दर्ज करने से वादीगण के हकूक खातेदारी प्रभावित हो रहे हैं जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है । अतः वाद वादीगण स्वीकार फरमाया जाकर गत के मुताबिक वादीगण को हाल ख0 नं0 411 का खातेदार घोषित किया जावें व इन्द्राज हाल सिवायचक बमुकाबले वादी बातिल व बेअसर करार घोषित किया जावें । विद्धान अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जिसमें पैरोकार सरकार ने उपस्थित होकर जवाब दावा प्रस्तुत किया । विद्धान तहत न्यायालय ने दोनों पक्षों के अभिभाषकगण की बहस सुनकर दि0 08.08.2011 को वादीगण का वाद डिक्री कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 08.08.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

अभिभाषक अपीलांट ने बहस में दावें के तथ्यों को दोहराया और तहत न्यायालय द्धारा पारित आदेश का हवाला दिया । अपीलांट अभिभाषक का बहस में कथन है कि तहत न्यायालय के निर्णय व डिक्री दि0 8.8.2011 के खिलाफ अपील धारा 96 के प्रार्थना पत्र के साथ पेश की है । तहत न्यायालय में रेस्पो0 सं0 1 व 2 ने साबिक ख0 नं0 422 रकबा 3 बीघा बाबत वाद पेश किया था । सम्वत् 2046 मे बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज कर दिया उसे दुरूस्त कराने बाबत वाद पेश किया । साबिक ख0 नं0 422 से सम्वत् 2046 में नये नम्बर 403 रकबा 0.88, 404 रकबा 1.33 है0, 411 रकबा 1.58 है0 बने थे । वादीगण ने तहत न्यायालय में वाद ख0 नं0 422 रकबा 3 बीघा को लेकर किया है । अपीलांट का इसमें ऐतराज यह है कि ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 अपीलांट के कब्जे में बन्दोबस्त से पूर्व से ही चला आ रहा है. । कब्जे बाबत इन्द्राज खसरा गिरदावरी सम्वत् 2051 से 2071 तक की पेश की हैं । साथ ही पैनल्टी जमा की रसीदें पेश की है । मेरा जहां कब्जा है, वही वादी ने वाद पेश किया है । वादी ने अपने वाद में यह कही भी नहीं लिखा कि उसका वहां पर कब्जा है । ख0 न0 422 के किस ऐरिया में तथा हाल नम्बर 411 में किस जगह पर कब्जा है । अपीलांट के पक्ष में धारा 91 की कार्यवाही हुई है तथा तहसीलदार ने 27.1.2007 को तहसीलदार ने अपने निर्णय में अपीलांट का कब्जा मानते हुए नियमितीकरण की सिफारिश की है जिसकी पत्रावली उपखण्ड अधिकारी को भेजी है । इसमें पटवारी हल्का के बयान है जबकि दि0 21.1.2008 को दावा वादी ने पेश किया है । अपीलांट का कब्जा पुराना मानते हुए तहसीलदार ने सिफारिश की है । दावा बाद में पेश किया है । इसलिए मुझे पक्षकार बनाया जाना चाहिए जो नहीं बनाया गया ।

साबिक ख0 नं0 422 का कुल रकबा 20 बीघा है जिसमें से 3 बीघा का दावा किया है । आदेश 7 नियम 3 की पालना कहीं भी नहीं की है । तहत न्यायालय ने अपने निर्णय में यह साफ नहीं किया है कि वादी का कब्जा कहां है । यदि ख0 नं0 422 का कुल रकबा 3 बीघा ही होता तो बात अलग थी । वादी का वाद केवल 3 बीघा का है । बन्दोबस्त विभाग ने तीन नम्बर बनाये हैं । ख0 नं0 403 का रकबा 0.88 ऐयर है जो लगभग 3 बीघा ही है । इस पर वादी कब्जा प्राप्त करें । रेस्पो0 सं0 1 /वादी का कब्जा नहीं है । इस रकबे पर

अपीलांट का ही क़ब्जा है । चाहे तो मौका निरीक्षण करवा सकते हैं । सम्वत् 2073 की खसरा परिवर्तनशील पेश की है जिसमें आज भी मेरा कब्जा है । चूंकि तहत न्यायालय में हम पक्षकार नहीं थे । इसलिए धारा 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के साथ यह अपील पेश की जा रही है । अपीलांट पीड़ित पक्षकार है । अतः अपील पेश करने की अनुमति के साथ दफा 5 मियाद अधिनियम का भी प्रार्थना पत्र पेश कर अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

जवाब बहस में अभिभाषक रेस्पो0 सं0 1 व 2 का कथन है कि अपील में अपीलांट ने 5 बिन्दू उठाये हैं । दि0 21.1.2008 को दावा पेश करना बताया है जबकि दि0 19.12.96 को दावा पेश किया है । धारा 80 सी.पी.सी. का नोटिस दिया है । तहसीलदार की सिफारिश अतिक्रमी के पक्ष में है । अतिक्रमी की क्या हैसियत है । खातेदार के विरूद्ध अतिक्रमी को कोई अधिकार नहीं है । जमाबन्दी सम्वत् 2039 बन्दोबस्त से पहले की है । अपीलांट की गिरदावरी सम्वत् 2051 से है, ये क्या खातेदार हैं ? मूलचन्द बन्दोबस्त से पूर्व ख0 नं0 422 रकबा 3 बीघा का खातेदार था । हमने घोषणा व दुरूस्ती का दावा पेश किया था । रेस्पो0 अपीलांट को पक्षकार क्यों बनायें । क्या अपीलांट सह खातेदार हैं । अपीलांट सम्वत् 2051 से अपना कब्जा बता रहे हैं । रकबा 20 बीघा में कब्जा कहा है, ये साफ बताया । रेस्पो को ख0 नं0 411 में 3 बीघा आराजी चाहिए । तहत न्यायालय में नक्शा कब्जा पेश किया तब डिक्री हुई है । बन्दोबस्त ने खातेदारी बदल दी तो रेस्पो0 ने दावा पेश किया जो डिक्री हुआ है । अपीलांट अतिक्रमी से मालिक कैसे हो सकते हैं । तहसीलदार ने केवल नियमितीकरण की सिफारिश की है, कोई विनियमन आज तक नहीं हुआ है क्योंकि कब्जा रेस्पो0 का था । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत होने से अपील अपीलांट काबिल खारिजी के है । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2014–14 पेज 579, आर.आर.टी. 2015 पेज 1077 व आर.आर.टी. 2017 पेज 1102 पेश की ।

जवाबुल जवाब में अभिभाषक अपीलांट का कहना है कि कब्जा काबिज कहां है, ये रेस्पो0 ने नहीं बताया । अपीलांट अतिक्रमी है, क्या अपीलांट को ड्यू प्रोसेस से बेदखल किया है । इसलिए अपील अपीलांट स्वीकार की जावें ।

हमने अभिभाषकगण की बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । तहत न्यायालय की पत्रावली में पेश रेकार्ड, अपील के तथ्यों, दावे के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.08.2011 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट का विवादित आराजी हाल ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 के संबंध में कथन है कि विवादित आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा तहसीलदार टहला के द्वारा उनके विरूद्ध धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गयी है तथा कब्जे के आधार पर अपीलांट के पक्ष में नियमन की सिफारिश की गयी है ।

अतः अपीलांट के कथनानुसार जब विवादित आराजी ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 पर अपीलांट का कब्जा काश्त है तो किस आधार पर रेस्पो0/वादी के पक्ष में ख0 नं0 411 में से 3 बीघा की डिक्री पारित की है । कब्ज़े काश्त की मौका रिपोर्ट मंगवायी जाती तो यह स्पष्ट हो जाता कि विवादित आराजी हाल ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 पर अपीलांट का कब्जा है ना कि वादी/रेस्पो0 का । कब्जा स्पष्ट करना चाहिए । कहां कब्जा काश्त है । अतः इस आधार पर वादी को डिक्री प्राप्त करने का अधिकार नहीं था । अपीलांट को तहत

न्यायालय में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है । उनका कब्जा काश्त है तथा ख0 नं0 404 में अपीलांट को डिक्री दी जानी चाहिए । अतः 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र एवं मियाद के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट को स्वीकृति प्रदान करने का निवेदन किया तथा गुणावगुण पर अपील स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

रेस्पो0 अभिभाषक का कथन है कि साबिक ख0 नं0 422 के हाल ख0 नं0 403, 404 व 411 कायम किये गये हैं । वादी का साबिक ख0 नं0 422 के कुल रकबे में से 3 बीघा का खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड था परन्तु बन्दोबस्त ने उनकी आराजी को सिवायचक घोषित कर दिया और ख0 नं0 411 में 3 बीघा की जो डिक्री पारित की है उसे संही बताया ।

हमने रेकार्ड का अवलोकन किया । तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 08.08.2011 का अवलोकन किया । पत्रावली के अवलोकन से बन्दोबस्त से पूर्व की जमाबन्दी जो अधूरी है तथा जिसमें सम्वत् का अंकन नहीं है में खाता सं0 44 साबिक खाता सं0 66 के अनुसार लाल स्याही में "मूलचन्द पुत्र रामसहाय ब्राह्मण सा0देह खातेदार" ख0 नं0 422 मिन 3 बीघा दर्ज रेकार्ड है । मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक ख0 नं0 422 मिन रकबा 12.05 बीघा से हाल ख0 नं0 403 रकबा 0.88 है0, 422 मिन से हाल ख0 नं0 404 रकबा 1.33 है0, 422 मिन से हाल ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 कायम किये गये हैं । बन्दोबस्त जमाबन्दी सम्वत् 2046–65 के अनुसार हाल ख0 नं0 411 रकबा 1.58 है0 बारानी दोयम सिवायचक, 403 रकबा 0.88 है0 गै0मु0 रास्ता तथा 404 रकबा 1.33 है0 बारानी दोयम सिवायचक दर्ज रेकार्ड किया है ।

पैरोकार सरकार की ओर से पेश जवाब के अनुसार साबिक ख0 नं0 422 रकबा 12.05 बीघा जिससे 3.10 है0 रकबा बनना होता है । पैरोकार सरकार के अनुसार साबिक रकबा 3.10 है0 के मुकाबले 2.46 है0 रकबा (आराजी ख0 नं0 403 व 411 ही) सरकारी खाते में दर्ज की गयी है । अभी भी शेष रकबा 0.64 है0 के सरकारी दर्ज होना शेष है ।

अपीलांट इस आधार पर 96 सी.पी.सी. के साथ अपील में आये हैं कि हाल ख0 नं0 411 पर अपीलांट का कब्जा काश्त है जो कि रेकार्ड से सिद्ध है । चाहे मैं विवादित आराजी पर अतिक्रमी हूं तो भी मुझे ड्यू प्रोसेस से ही बेदखल किया जाना चाहिए । अपीलांट का बहस में ये भी कथन है कि रकबा 3 बीघा के समकक्ष हाल रकबा ख0 नं0 403 का बनता है । अतः न्यायालय को ख0 नं0 403 में वादी/रेस्पो0 को खातेदारी प्रदान की जानी चाहिए । जब हमारा कब्जा है तो हमें भी पक्षकार मुकदमा बनाया जाना चाहिए । अतः 96 सी.पी.सी. में अपील स्वीकार करने तथा जानकारी के आधार पर धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की इस्तदुआ की ।

साबिक रेकार्ड व निर्णय दिनांक 08.08.2011 के अवलोकन से यह तो स्पष्ट है कि बन्दोबस्त से पूर्व वादी/रेस्पो0 ख0 नं0 422 मिन रकबा 3 बीघा का रेकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड था तथा बन्दोबस्त ने ख0 नं0 साबिक 422 मिन के हाल रकबा कायम करते समय 3 बीघा आराजी को भी सिवायचक दर्ज कर दिया । बन्दोबस्त का यह कार्य कानून सम्मत नही। उसे पुराने इन्द्राजों को ही रिपीट किया जाना चाहिए जैसाकि कानूनी नजीरों में स्पष्ट किया गया है । अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में 3 बीघा की डिक्री सही प्रदान की है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने इस संबंध में कोई मौका रिपोर्ट प्राप्त नहीं की है कि वादी/रेस्पो0 कहा पर पहले से ही काबिज है । साथ ही जो साबिक व बन्दोबस्त का रेकार्ड प्राप्त किया है वह पत्रावली में आधा अधूरा है । कब्जे के संबंध में स्पष्ट

रिपोर्ट के अभाव में अपीलांट ने विवादित आराजी पर अपना रेकार्ड से कब्जा बताते हुए यह अपील इस आधार पर पेश की है कि वादी का डिक्री किये गये खसरा नम्बर पर कब्जा काश्त नहीं है । अतः इस आधार पर तहत न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवा कर जहां वादी कब्जे काश्त में है या जहां वादी को साबिक ख0 नं0 422 में रेकार्ड व नियम से खातेदारी मिली है, वंहां पर संशोधित डिक्री पारित किये जाने की आवश्यकता है ।

जहां तक अपीलांट के 96 सी.पी.सी. के प्रार्थना पत्र के आधार पर अपील स्वीकार करने का प्रश्न है, अपीलांट विवादित आराजी पर अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है । अतः अपीलांट को अपील के आधार पर प्रकरण में कोई रीलीफ नहीं दी जा सकती है । केवल तहत न्यायालय के निर्णय दि0 08.08.2011 की व्याख्या गुणावगुण पर न्यायालय का मत है कि प्रकरण को तहत न्यायालय को मौका रिपोर्ट प्राप्त करके कब्जे काश्त के आधार पर तथा साबिक रेकार्ड व नक्शें की जॉच करके स्पष्ट खसरा नम्बर अंकित करके तथा उसमें दिशा का अंकन करते हुए गुणावगुण पर पुनः संशोधित निर्णय पारित करना चाहिए ।

इसलिए अपील अपीलांट में प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. अस्वीकार करते हुए प्रकरण को गुणावगुण पर स्वीकार कर तहत न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं ।

अतः अपील गुणावगुण पर आंशिक स्वीकार की जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ के निर्णय व डिक्री दि0 08.08.2011 निरस्त की जाती है तथा प्रकरण तहत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ़ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादी के पक्ष में पारित डिक्री दिनांक 08.08.2011 में साबिक रेकार्ड व हाल नक्शें के आधार पर तथा कब्जे के संबंध में प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर पुनः स्पष्ट खसरा नम्बर व दिशा अंकित करते हुए पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें ।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 14.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

14/9/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर